**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**

**सं0 संख्या** –03/03–भू0अ0नि0(सी0एम0जे0)एस0सी0एल0– 28/2023 394 **पटना, दिनांक** : 19/01/2024

## आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या – 05/2019 के आलोक में स्नातक प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष सर्वेक्षण लिपिक का नियोजन किया गया है। नियोजित संविदा कर्मियों में सुश्री कुमकुम कुमारी (Emp. ID-SCL01714) द्वारा CMJ University, Meghalaya से निर्गत स्नातक प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त किया गया है, जिन्हें नियोजित करते हुए निदेशालय पत्रांक 10584 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण में पदस्थापित किया गया है।

नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों से कराया जा रहा है। सुश्री कुमारी द्वारा नियोजन के समय समर्पित स्नातक प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उक्त विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में CMJ University, Meghalaya द्वारा अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का भेजे जा रहे सत्यापन प्रतिवेदन में कभी प्रमाण पत्र को फर्जी प्रतिवेदित किया जा रहा है एवं कभी उसी प्रमाण पत्र को सत्यापित कर भेजा जा रहा है, जिससे विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न हुई है। साथ ही विश्वविद्यालय के पत्रांक CMJU/RO/VERI./2022-07/61/571 दिनांक 23.07.2022 द्वारा यह सूचना दी गयी है कि इनका सारा अभिलेख/दस्तावेज सी0आई0डी0, मेघालय द्वारा जब्त कर लिया गया है।

CMJ University के जब्त किए गए अभिलेख/दस्तावेज से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निदेशालय पत्रांक 2607 दिनांक 20.09.2022, पत्रांक 2079 दिनांक 13.03.2023 एवं पत्रांक 4475 दिनांक 30.05.2023 द्वारा पुलिस महानिदेशक, मेघालय पुलिस, पुलिस मुख्यालय, शिलांग से अनुरोध किया गया। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निदेशालय आदेश संख्या 4692 दिनांक 02.06.2023 द्वारा प्राप्त हो रहे सत्यापन प्रतिवेदनों के संबंध में मेघालय जाकर अद्यतन स्थिति प्राप्त करने हेतु निदेशालय स्तर पर विशेष दूत के रूप में दो सदस्यी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के मेघालय भ्रमण के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक, सी0आई0डी0, मेघालय के पत्रांक 364 दिनांक 07.06.2023 द्वारा विश्वविद्यालय के जब्त अभिलेखों के संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा गया है।

सी0आई0डी0, मेघालय द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि "April, 2013, based on serious allegations against the CMJ University a case was registered by the Meghalaya Police CID Organization vide CID Police Station Case no. 2(04)13 U/S 406/420/466 IPC and Investigated into." साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि "The above referred case has already been charge sheeted vide CID PS charge sheet no. 01/2015 dated 20-04-2015 and all the seized items has been forwarded in the Hon'ble Court of the Chief Judicial Magistrate, Shillong." इसके अतिरिक्त यह भी सूचना दी गयी कि शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार ने अपने आदेश संख्या EDN/CC/18/2013/PT.I/16 दिनांक 31.03.2014 द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से विघटन कर दिया गया है।

निदेशालय स्तर पर गठित टीम द्वारा भी जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2010–2013 तक का कोई भी रिकार्ड/दस्तावेज विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं मई, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक विश्वविद्यालय पूर्णतः बंद था। इस दौरान कोई भी पाठ्यक्रम/सत्र विश्वविद्यालय में संचालित नहीं किया गया है और न ही कोई प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय में WP(C) No. 177/2014 दायर किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द करने संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध मेघालय सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में WA No. 14/2017 दायर किया गया, जिसमें WP(C) No. 177/2014 में पारित आदेश को रद्द करते हुए वाद को एकल पीठ को रिमांड करते हुए मेघालय सरकार के विघटन आदेश को मेरिट के आधार पर सुनवाई कर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। इस पारित आदेश के विरूद्ध उक्त विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP (Civil) No(s) - 7081/2021 एवं SLP(Civil) No(s) - 14231/2021 दायर किया गया, जो वर्तमान में लंबित है। यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया संदेहास्पद है एवं शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

सी0आई0डी0 मेघालय एवं गठित जांच टीम से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री कुमारी से निदेशालय पत्रांक 8544 दिनांक 17.10.2023 द्वारा 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है तथा यह उल्लेख किया गया है कि ''इनके द्वारा विश्वविद्यालय से सम्पर्क किया गया है, जहाँ के कर्मचारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010 से 2013 तक डिप्लोमा/टेक्नीकल डिग्री को खारिज किया गया है, लेकिन स्नातक का पाठ्यक्रम बन्द नहीं था।''

सी0आई0डी0, मेघालय से प्राप्त सूचना एवं जांच टीम से प्राप्त प्रतिवेदन तथा सुश्री कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के साथ इनके द्वारा नियोजन में समर्पित स्नातक प्रमाण पत्र की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि इनके द्वारा नियोजन में समर्पित स्नातक के प्रथम वर्ष का अंक पत्र दिनांक 20.10.2014 को निर्गत है। संयुक्त जांच टीम के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त विश्वविद्यालय मई, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण रुप से बंद था। इस अवधि में किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र निर्गत नहीं किया गया है और न ही कोई कक्षा संचालित की गई है। इससे स्पष्ट है कि सुश्री कुमारी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त किया गया है।

अतः नियोजन के समय इनके द्वारा समर्पित Terms of Assignment की कंडिका – 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में सुश्री कुमकुम कुमारी (Emp. ID-SCL01714), विशेष सर्वेक्षण लिपिक, बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

**(जय सिंह)** 19/01/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक** : 03/03–भू0अ0नि0(सी0एम0जे0)एस0सी0एल0– 28/2023 394 **पटना, दिनांक** : 19/01/2024

**प्रतिलिपि** : सुश्री कुमकुम कुमारी (Emp. ID-SCL01714), विशेष सर्वेक्षण लिपिक, बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक** : 03/03–भू0अ0नि0(सी0एम0जे0)एस0सी0एल0– 28/2023 394 **पटना, दिनांक** : 19/01/2024

**प्रतिलिपि** : बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि सुश्री कुमारी के विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य प्रावधानित नियम के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही इनके द्वारा नियोजित रहते हुए प्राप्त किये गये मानदेय की राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाय।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक** : 03/03–भू0अ0नि0(सी0एम0जे0)एस0सी0एल0– 28/2023 394 **पटना, दिनांक** : 19/01/2024

**प्रतिलिपि** : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अंतर्गत R2R में संबंधित की व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

**निदेशक** 19/1/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप